विलायती शराब के खेल निराले!!!

BIO(Bottled in Origin) और BII(Bottled In India) शराब के नाम से बेची जाती है विलायती शराब!!!

राजस्थान मे करोड़ो का सालाना मार्केट है, BIO शराब का!!!

शराब कंपनियो के दबाव मे विलायती(BIO) शराब का बड़ा खेल!!!

मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप,BIO बॉन्ड के नाम पर चलेगा मोटा खेल!!!

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी

सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

आलेख संख्या– 2022/palm/05 E-Newsletter, Issued in Public Interest गुरुवार, 24 फरवरी 2022

BIO शराब के धंधे मे आडतिया लाने की तैयारी!!!

आरएसबीसीएल मे चलेगी समानान्तर व्यवस्था!!!

पहले से ही नुकसान झेल रहे राज्य के शराब ठेकेदारो के लिए बढ़ेगी कई मुसीबते!!

विशेष रिपोर्ट-5

प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बड़ा झटका!!!

गांधी के देश मे बहेगी विलायती शराब की नदियां!!!

क्या शराबबंदी वाले गुजरात से लगते जिलो मे खोले जाएंगे BIO ब्रांड के आउटलेट?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

भारत मे शराब बाजार का परिदृश्य

हमारे देश में शराब के विज्ञापन पर रोक है| यही वजह है कि टेलीविजन, अखबार और पत्रिकाओं आदि में इसके पोस्टर या वीडियो द्वारा प्रचार नहीं किया जाता हैं|यहां तक कि टेलीविजन के धारावाहिकों और फिल्मों में धूम्रपान और शराब के सेवन के दौरान वैधानिक चेतावनी भी दिखाई जाती है| लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि इतनी पाबंदियों के बाद भी देश में शराब की खपत साल-दर-साल बढ़ती जा रही है|

भारत मे शराब का प्रचलन ब्रिटिश काल के पहले से चला आ रहा है|अंग्रेज़ो द्वारा इस पर अधिक टेक्स लगा कर या अन्य नीतियो द्वारा इसको काबू मे लाने के प्रयास किए गए थे|अग्रेजों के शासन के बाद आजाद भारत मे भी केंद्र और राज्य सरकारो द्वारा शराब के प्रचलन को कम करने के प्रयास किए गए है|जिसका नतीजा है कि गुजरात,बिहार जैसे राज्यो मे पूर्ण शराबबंदी लागू है|लेकिन इसके बावजूद भारत मे शराब की खपत दिनो दिन बढ़ती जा रही है|आज भारत शराब उत्पादो के उपयोग की दृष्टि से विश्व का सबसे तेज बढ्ने वाला देश बन चुका है जिसके चलते विदेशी कंपनियों की निगाहे भारत पर गढ़ी हुई है|एक सर्वे के अनुसार भारत मे 300 मिलियन केस विस्की की सालाना खपत होती है,जिसमे साल दर साल इजाफा होता जा रहा है|राज्यों द्वारा लागू की जाने वाली मद्द संयम नीति से जहां आम जन के स्वास्थ्य,उनकी अर्थव्यवस्था को सुरक्षा मिलती है वहीं इसके दुसप्रभाव भी सामने आते है,जो कि काले धन की समानांतर व्यवस्था,भ्रष्टाचार,शराब कीमतों मे वृद्धि और सस्ती/घटिया देशी शराब से होने वाली जानोमाल की हानि के रूप मे हमारे सामने आती है|

शराब उद्योग,अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर

देखा जाए तो शराब उद्योग से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है,शराब उद्योग से सालाना हमारी सरकारो को 240000 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती है|शराब उद्योग से 50 लाख किसानो को मदद मिलती है,20 लाख व्यक्तियों को शराब आधारित कल-कारखानो मे रोजगार उपलब्ध होता है|शराब उद्योग से सहायक उदद्योगों जैसे काँच,बोतल,पेकिंग आदि उदद्योगों द्वारा 6000-7000 करोड़ का सालाना टर्नओवर किया जाता है|

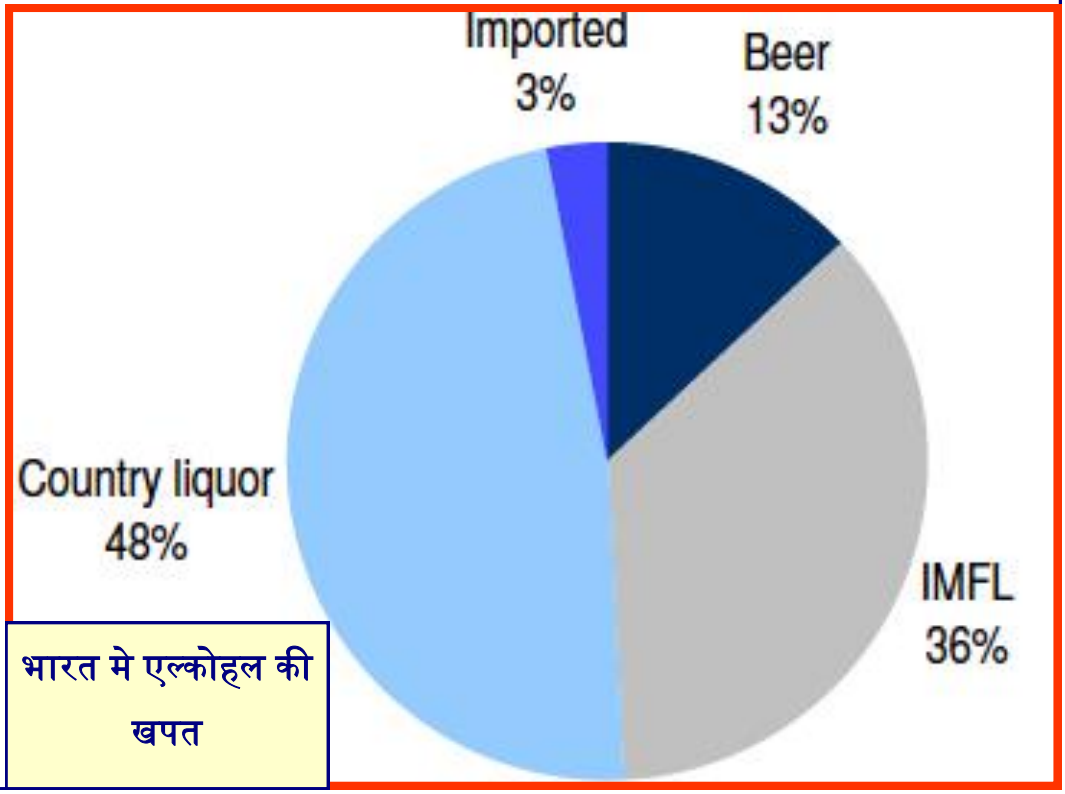

भारत मे एल्कोहल की खपत

क्या होती है विलायती शराब?

BIO(Bottled in Origin) और BII(Bottled In India) शराब मे क्या है फर्क?

भारत मे अधिकृत रूप से तीन तरह की शराब बेची जाती है,जिन्हे Indian Made Foreign liquor(IMFL),Foregin Made Foregin Liquor(FMFL) और Indian Made Indian Liquor(IMIL)कहा जाता है|इनमे से

Indian Made Foreign liquor,IMFL(जो विदेशी कंपनियाँ भारत मे बोटलिंग/पेकेजिंग करवाती है) को BII(Bottled in India) और Foregin Made Foregin Liquor(FMFL) को BIO(Bottled In Origin) शराब कहा जाता है|

BIO(Bottled in Origin) शराब का मतलब उस शराब से होता है जो उसी देश से सीधे बोतल मे बंद होकर आयात की जाती है,जिस देश मे उसका उत्पादन और बोटलिंग की जाती है|जबकि BII(Bottled In India) शराब का मतलब उस शराब से होता है,जिसका मेटेरियल बाहरी देश से आयात किया जाता है और जिसकी बोटलिंग/पेकेजिंग भारत मे स्थित डिस्टलरियो/बोटलिंग प्लांटो मे की जाती है|

आज हम इस विशेष रिपोर्ट मे केवल BIO शराब की बात करेंगी जिसे पूर्ण रूप से विलायती शराब कहने मे कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी|भारत मे विलायती शराब(BIO) का प्रचलन अभिजात्यवर्ग,उच्च मध्यम वर्ग और विदेशी पर्यटको तक ही सीमित रहा है लेकिन हाल के कुछ वर्षो मे इसकी खपत तेजी से बढ़ती जा रही है|चूंकि BIO(Bottled in Origin) शराब पर केंद्र सरकार द्वारा कस्टम ड्यूटी वसूली जा चुकी होती है अतः राज्यो द्वारा शराब पर वसूली जाने वाली एक्साइज़ ड्यूटी को कम कर दिया जाता है जबकि BII(Bottled In India) शराब पर कस्टम ड्यूटी नहीं/कम होने की वजह से इस शराब पर एक्साइज़ ड्यूटी को अधिक रखा जाता है|राजस्थान मे BIO(Bottled in Origin) शराब पर एक्साइज़ ड्यूटी वसूल नहीं कर, होलसेल लाइसेन्स फीस वसूली जाती है जो कि MRP की करीबन 15 से 18% के बीच होती है|जबकि BII(Bottled In India) शराब पर बकायदा एक्साइज़ ड्यूटी वसूली जाती है जो कि MRP की 45-50% के बीच होती है|

BII Brands
1000 pipers
Blenders Pride
Devars
Discovery
Grover
Imperial Blue
Jaisalmer
Mc Dowell
Officers Choice
Rockford
Royal Challenge
Royal Green
Royal Stag
Signature
Solan
Teachers
VAT 69
Sula
Starling Reserve

BIO Brands
Red Label
Ballantine's
Absolute Vodka
J&B Rare
Jameson Irish
Tanqueray Gin
Beefeater Gin
Ballantine's 12
Black Label
Chivas Regal
Grey Goose
Belvedere Vodka
Ciroc Vod ka
Singleton 12 Yr
Double Black
Monkey shoulder
Hendrick's Gin
Glenlivet 15Yr
Chivas Rega l 18
Johnnie Walker
Jacobs creek,
Hibiki Japanese
OUTBACK JACK WINE
EMILIANA WINE
CAMAS WINE
OPERA WINE
JOHNSTON WINE
FISHING CAT WINE
BLACK LABEL SPEYSIDE
BLACK LABEL LOWLANDS

विलायती शराब (BIO) बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ रहा दबाव

भारत के बढ़ते मार्केट को देखते हुए अब विलायती शराब बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनियो द्वारा भारतीय बाजार मे पैठ बनाने के प्रयास खुलकर सामने आ रहे है|इसी के चलते WTO,यूरोपीय संघ के दबाव मे विदेशो से आयात होने वाली विलायती शराब पर कस्टम ड्यूटी को कम कर करने की तैयारियां की जा रही है|अभी विदेशी अल्कोहल पेय पर 150 फीसदी कस्टम ड्यूटी है| इसे 75 फीसदी तक लाने के लिए भारत पर दबाव बनाया जा रहा है| इससे एक तरफ भारत में विदेशी शराब तो सस्ती हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ घरेलू अल्कोहल मैन्यूफैक्चर्स की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है|

कंफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआइएबीसी) के अनुसार यूरोप में अल्कोहल पेय उत्पादन की लागत भारत से 50 फीसदी कम है| ऐसे में कस्टम ड्यूटी को एक सीमा से अधिक कम करने पर भारतीय कंपनियां मुकाबला नहीं कर पाएंगी| सीआइएबीसी के आंकड़ों के मुताबिक ईयू से भारत सालाना 1,850 करोड़ रुपये की शराब आयात करता है, जबकि यूरोप में सिर्फ 160 करोड़ की शराब का निर्यात करता है|

New Indian Express, Chennai
Wednesday, 17th March 2021; Page: 12
Width: 19.39 cms; Height: 29.43 cms; a3; ID: 32.2021-03-17.109

CIABC urges Centre not to reduce customs duty on whiskey imports

ENS ECONOMIC BUREAU @ New Delhi

AMID reports of the UK seeking massive tariff concessions on imports of scotch whiskey during ongoing free trade agreement (FTA) negotiations, liquor sector association Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies (CIABC) has written to the government strongly objecting to any plans to slash Basic Customs Duty (BCD).

A reduction in BCD, it said, will adversely affect Indian Made Foreign Liquor (IMFL) brands since imports already dominate the Indian alcoholic beverages market. CIABC has been part of several recent meetings hosted by the Ministry of Commerce with stakeholders before the trade talks with the UK.

"India exports just ₹5 crore worth of alcoholic beverages annually to the UK against an import of ₹1,300 crore. Exports to the UK constitute only 0.2 per cent of India's total exports of alcoholic beverages whereas imports from the UK are 24 per cent of India's total import of alcoholic beverages," said Vinod Giri, DG, CIABC.

Giri further noted that "restrictive" trade policies are also hampering the growth of Indian exports. "While the export of alcoholic beverages from India stood at 7.3 million cases (9 litre each) in the year 2019-20, exports to the entire EU (including the UK) were less than 30,000 cases which consisted of Indian super premium malt whiskies," he pointed out.

CIABC said that the United Kingdom should also remove restrictions such as a minimum three years maturation period for Whiskey and Rum, since it has been scientifically established that in warm Indian conditions, spirit ages 3-3.5 times faster than in the UK. Giri added that a BCD cut would skew the balance of trade.

यूरोप में पूरी तरह अनाज से तैयार अल्कोहल के निर्यात की इजाजत है, जबकि भारत में मुख्य रूप से शीरे (मोलैसिस) से शराब तैयार होती है| यूरोप कम से कम तीन साल पुरानी शराब को निर्यात करने की इजाजत देता है, जबकि जलवायु में अंतर की वजह से भारत में यूरोप के मुकाबले 3.5 गुना तेज वाष्पीकरण होता है| मतलब भारत की तीन साल पुरानी शराब यूरोप की 10.5 साल पुरानी शराब के बराबर होती है|सीआइएबीसी के मुताबिक, यूरोप को कस्टम ड्यूटी में छूट देने से पहले सरकार को इन सब मुद्दों पर भी ईयू से बात करनी चाहिए, ताकि भारतीय शराब निर्यात का भी रास्ता साफ हो सके। भारत में इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज का सालाना कारोबार 4.5 लाख करोड़ रुपये का है। राज्य सरकारों को इस उद्योग से सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपये के टैक्स मिलते हैं।

केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारो पर भी बना रही दबाव|कई राज्य कर रहे BIO शराब को प्रमोट

एक तरफ जहां विलायती शराब कंपनियाँ केंद्र सरकार पर कस्टम ड्यूटी कम करने का दबाव बना रही है वही दूसरी और आबकारी राज्यों का विषय होने के नाते विभिन्न राज्य सरकारो पर भी विलायती शराब की खपत को बढ़ाने के लिए जबरदस्त लोबिंग कर रही है|इसी के चलते दिल्ली-हरियाणा मे BIO शराब की बिक्री के लिए अलग से होलसेल लाइसेन्स दिया जाता है जिसे हरियाणा मे AVANT-GRADE OUTLET और दिल्ली मे L1 लाइसेन्स कहा जाता है|इन लाइसेंसो के तहत विदेशी कंपनियों के स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर अपने बड़े बड़े और वातावनुकूलित शोरूम लगाने के लिए अधिकृत होते है|इन बड़े बड़े शोरूमो द्वारा रिटेल लाईसेंसियों को शराब की आपूर्ति की जाती है|लेकिन रिटेल के नाम पर इन राज्यों से सटे अन्य प्रदेशों मे इन BIOब्रांड की शराब की जमकर तस्करी की जा रही है|

शराब कंपनियों के दबाव के चलते महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी अपने राज्य मे बिकने वाली BIO शराब के ब्रांडो पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है|सरकार यह दावा कर रही है कि इससे उसका राजस्व दुगुना हो जाएगा|

इसी प्रकार केरल,मध्य-प्रदेश द्वारा भी BIO ब्रांड की शराब की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है|

राजस्थान मे भी शराब कंपनियों का दबाव,विलायती शराब बेचने के लिए नयी आबकारी नीति मे भारी फेरबदल,राज्य मे खोली जाएगी मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड के तहत होलसेल आउटलेट|

जब से केंद्र सरकार द्वारा संकेत दिये जा रहे है कि भारत मे आयातित विलायती शराब पर कस्टम ड्यूटी को 150%से घटा कर 75% किया जाएगा तभी से राजस्थान मे विलायती शराब आयातित करने वाली कंपनियों की लोबिंग शुरू हो गयी है और अन्य राज्यो दिल्ली,महाराष्ट्र,हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान मे भी आयातित शराब को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है जिसका नतीजा राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिए घोषित की गयी आबकारी नीति मे देखने को मिल रहा है|इन शराब कंपनियों के दबाव के चलते राजस्थान सरकार द्वारा नयी आबकारी नीति मे भारी फेरबदल करते हुए मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड की बंदरबाट करने की कवायद शुरू कर दी है|

क्या है मॉडल शॉप का प्रावधान?

राज्य मे जयपुर तथा अन्य शहरो मे आवश्यकतानुसार वातानुकूलित,आदि सुविधायुक्त मॉडल शॉप खोली जा सकेगी|नयी आबकारी नीति के अनुसार इन दुकानों पर केवल महंगे ब्रांड (BIO और BII दोनों प्रकार के) ही रखे जाएंगे|इन दुकानों का संचालन आरएसबीसीएल द्वारा निजी भागीदारों के माध्यम से किया जाएगा|मॉडल शॉप खोलने के लिए उक्त दुकानों की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी|इन दुकानों मे मदिरा उठाव की न्यूनतम गारंटी राशि का प्रावधान नहीं होगा|

2.13 मॉडल शॉप :

2.13.1 राज्य में जयपुर तथा अन्य शहरों में आवश्यकतानुसार वातानुकूलित आदि की सुविधायुक्त मॉडल शॉप RSBCL को वार्षिक लाईसेंस फीस पर आवंटित की जायेगी। इन मॉडल शॉप द्वारा प्रीमियम मदिरा, हेरिटेज मदिरा, प्रीमियम वाईन व प्रीमियम बीयर तथा Accessories का ही विक्रय अनुमत होगा। इस सम्बन्ध में प्रीमियम श्रेणी का निर्धारण RSBCL द्वारा किया जायेगा।

2.13.2 राजस्थान राज्य ब्रेवरीज कोर्पोरेशन लिमिटेड (RSBCL) द्वारा निजी भागीदारों के माध्यम से मॉडल शॉप का संचालन किया जायेगा।

2.13.3 मॉडल शॉप के सचालन हेतु RSBCL को दुकानों का आवंटन जयपुर शहर के लिये 26 लाख रुपये, जोधपुर व उदयपुर शहर के लिये 20 लाख रुपये व अन्य शहरों के लिये 15 लाख रुपये की वार्षिक लाईसेन्स फीस पर किया जायेगा।

2.13.4 RSBCL द्वारा मॉडल शॉप के संचालन हेतु वार्षिक लाईसेन्स फीस के आधार पर तीन वर्षों के लिये आवंटन हेतु ऑनलाईन निलामी की जायेगी। ऑनलाईन निलामी में प्राप्त अधिकतम लाईसेन्स फीस पर मॉडल शॉप का आवंटन RSBCL द्वारा किया जायेगा। निलामी द्वारा आवंटित मॉडल शॉप के सचालन की अवधि को निर्धारित शर्तों पर 2 वर्ष के लिये और बढ़ाने का प्रावधान भी होगा। ऑनलाईन निलामी की शर्ते RSBCL द्वारा निर्धारित की जायेगी। इन दुकानों के लिये मदिरा उठाव की न्यूनतम गारण्टी राशि का प्रावधान नहीं होगा।

2.13.5 ऑनलाईन निलामी से प्राप्त अतिरिक्त लाईसेन्स फीस का 50 प्रतिशत RSBCL द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा।

क्या है ठेकेदारो की राय?इन मॉडल शॉप के प्रावधान को लेकर राजस्थान के शराब ठेकेदारो मे कोई खास रुचि देखने को नहीं मिल रही|उनके अनुसार BIO लेने वाला ग्राहक उनके सामान्य कम्पोजीट ठेके पर भी आ सकता है,जो कि वर्तमान मे आ ही रहा है|सामान्य कम्पोजीट ठेको का यह फायदा तो है कि वहाँ दोनों तरह के ग्राहक (सस्ते और महंगी शराब वाले)आ सकते है|रही बात वातानुकूलित और अन्य सुविधायुक्त शोरूम बनाने कि तो जयपुर,कोटा,उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरो मे कुछ सामान्य कम्पोजीट शराब की दुकानो की जगह भव्य आउटलेट बन चुके है जिनमे सभी तरह की शराब(BIO,BII और देशी शराब) पूर्ववत बिक रही है|मॉडल शॉप के लिए महंगे किराए और अन्य बड़े खर्चो पर बड़े शोरूम लेकर,उसे केवल महंगे ग्राहक के लिए खोलना किफायत का सौदा नहीं है|

क्या है असली खेल?जानकारो के अनुसार शायद ठेकेदारो को पता भी नहीं है कि इन मॉडल शॉप के नाम पर क्या खेल खेला जा रहा है|सबसे पहले तो इन मॉडल शॉप को लेने के लिए आरएसबीसीएल द्वारा जो टेंडर डोक्यूमेंट बनाया जाएगा उससे केवल एक कंपनी विशेष को ही फायदा होगा और राज्य मे वह मनचाही लोकेशनों पर ऐसी मॉडल शॉप खोल सकेगी|

नयी आबकारी नीति मे मॉडल शॉप के लिए न्यूनतम गारंटी पूरी करने का प्रावधान नहीं है इसका **"कंपनी विशेष"** सबसे ज्यादा फायदा उठाएगी|चूंकि इस "**कंपनी विशेष"** के दिल्ली-हरियाणा व अन्य राज्यों मे भी कई होलसेल शॉप वर्तमान मे संचालित है,इसलिए विदेशी कंपनियाँ से यह ज्यादा कमीशन लेगी और ग्राहकों को भारी डिस्काउंट पर BIO ब्रांड की शराब बेची जाएगी|इस कंपनी विशेष द्वारा दिया जाने वाला डिस्काउंट अन्य सामान्य कम्पोजीट शराब के ठेकेदार नहीं दे पाएंगे और उनकी BIO ब्रांड की शराब की बिक्री पर विपरीत असर पड़ेगा|चूंकि कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला कमीशन 2 नंबर मे होता है अतः यह कमीशन काले धन के रूप मे **"कंपनी विशेष"** के पास पहुचेगा|

क्या है एयरपोर्ट शॉप?

एयरपोर्ट अथॉरिटी की मांग के अनुसार अन्य राज्यो की तर्ज पर राज्य के सभी एयरपोर्टस पर वार्षिक फीस के आधार पर मदिरा की दुकानों के लिए लाइसेन्स दिये जाएंगे|इन दुकानों मे भी मदिरा उठाव की न्यूनतम गारंटी का प्रावधान नहीं होगा|मॉडल शॉप की तर्ज पर एयरपोर्ट शॉप मे भी इसी प्रकार खेल खेला जाएगा|इन दुकानों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यहाँ खुलने वाली दुकाने 24 घंटे खुली रहेगी|

2.14 ऐयरपोर्ट शॉप :

2.14.1 ऐयरपोर्ट ऑथोरिटी की मांग अनुसार अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी ऐयरपोर्टस पर वार्षिक लाईसेन्स फीस के आधार पर मदिरा की दुकानों के लिये लाईसेन्स जारी किये जायेगे। इन दुकानों पर मॉडल शॉप के अनुरूप प्रीमियम मदिरा, हेरिटेज मदिरा, प्रीमियम वाईन व प्रीमियम बीयर तथा Accessories का ही विक्रय अनुमत होगा तथा मदिरा उठाव की न्यूनतम गारण्टी राशि का प्रावधान नहीं होगा।

2.14.2 ऐयरपोर्ट शॉप का आवंटन ऐयरपोर्ट ऑथोरिटी की अभिशंषा अनुसार जयपुर ऐयरपोर्ट के लिये 20 लाख रुपये व अन्य शहरों के लिये 10 लाख रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस पर किया जायेगा।

2.14.3 इन दुकानों के संबंध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगे।

क्या है BIO बॉन्ड?

आरएसबीसीएल द्वारा निजी भागीदारों के माध्यम से फ्रेंचाईजी के रूप मे BIO बॉन्ड देने का प्रावधान किया जा रहा है|जिसका सीधा मतलब है कि विदेशी शराब का आयात करने वाली कंपनियाँ राज्य मे आरएसबीसीएल की तर्ज पर अपने गोदामआउटलेट खोलने को स्वतंत्र हो जाएगी|रिटेलर चाहे कम्पोजीट दुकान का लाईसेन्सी हो या फिर मॉडल शॉप संचालक,उसके द्वारा BIO ब्रांड की शराब इन्ही BIO बॉन्ड आउटलेट/गोदामो से की जाएगी|

2.16 BIO Bond :

2.16.1 RSBCL द्वारा निजी भागीदारों के माध्यम से फ्रेन्चाइजी के रूप में राज्य में BIO Bond की स्थापना की जा सकेगी।

2.16.2 BIO Bond की स्थापना पर राजस्थान आबकारी नियम 68(13) के अन्तर्गत होलसेल वेन्ड फीस जमा कराई जायेगी, राजस्थान आबकारी नियम 68 (13 सी) के अनुसार लाइसेंस फीस नहीं ली जायेगी। राज्य में स्थापित BIO Bond के माध्यम से आपूर्ति करने के स्थान पर राज्य में सीधे BIO की आपूर्ति किये जाने पर पूर्वानुसार प्रावधान लागू रहेंगे।

2.16.3 RSBCL द्वारा फ्रेन्चाइजी के माध्यम से स्थापित BIO Bond के लिये होलसेल वेंड फीस का भुगतान RSBCL द्वारा किया जायेगा तथा फ्रेन्चाइजी से फ्रेन्चाइजी फीस RSBCL द्वारा ली जायेगी। फ्रेन्चाइजी फीस का निर्धारण RSBCL द्वारा किया जायेगा।

2.16.4 निजी भागीदारों के माध्यम से फ्रेन्चायजी BIO Bond की स्थापना की प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें आदि RSBCL द्वारा निर्धारित की जायेगी।

BIO बॉन्ड के नाम से बड़ा खेल!!!

दिल्ली-हरियाणा मे चल रहे होलसेल लाइसेन्स वेंड की तर्ज पर आरएसबीसीएल का BIO बॉन्ड

यूं तो बीआईओ बॉन्ड का प्रावधान आबकारी विभाग,राजस्थान द्वारा पूर्व की कई आबकारी नीतियों मे किया जा रहा था,और BIO बॉन्ड के नाम पर शराब कंपनियों से प्रति वर्ष 6 लाख रुपए भी वसूले जा रहे थे|गत वर्ष की आबकारी नीति के तहत आरएसबीसीएल द्वारा BIO बॉन्ड के लिए टेंडर भी जारी कर दिये गए थे|लेकिन राजनैतिक परिदृश्यों के चलते इन टेंडरो को खारिज कर दिया गया था|इस टेंडर के तहत राज्य मे सभी तरह की BIO शराब की सप्लाई BIO बॉन्ड धारक कंपनी द्वारा ही किए जाने के प्रावधान थे|BIO बॉन्ड धारक कंपनी को आरएसबीसीएल के तहत ऑफिस,गोदाम,मेनपावर, स्टॉक,कोल्डस्टोरेज आदि रखने के अधिकार थे साथ ही नए ब्रांड की कीमते तय करने के अधिकार प्राप्त होने थे|

आरएसबीसीएल के समानान्तर चलेगी व्यवस्था|

इस प्रकार देखा जाए तो BIO बॉन्ड के माध्यम से आरएसबीसीएल के समानान्तर व्यवस्था कायम करने की कोशिश पिछले साल भी की गयी थी और इस साल भी किए जाने की पूरी संभावना है|यदि भविष्य मे राज्य मे BIO बॉन्ड की स्थापना हो जाती है तो इसे कमीशन देने के लिए प्रावधान भी किए जाएंगे,जिसे आरएसबीसीएल की जेब काटकर दिया जाएगा|इस खेल से शराब कारोबार मे एक नया आड़तिया पैदा हो जाएगा|इतना ही नहीं BIO बॉन्ड द्वारा संचालित गोदामो के माध्यम से रिटेल मे भी शराब ग्राहको को बेची जाएगी(जैसा कि दिल्ली-हरियाणा के होलसेल शोरूमो द्वारा रिटेल मे भी माल बेचा जाता है) जिससे शराब ठेकेदारो को नुकसान होना निश्चित है|

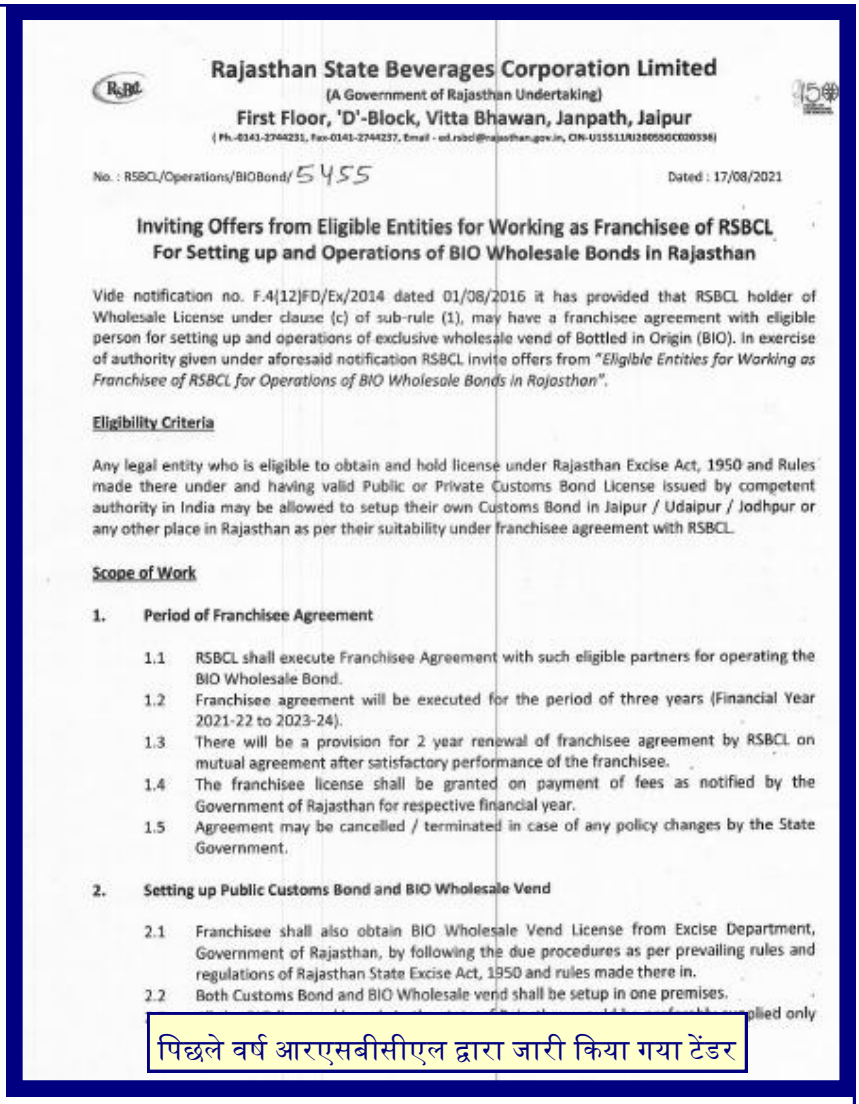

Rajasthan State Beverages Corporation Limited
(A Government of Rajasthan Undertaking)
First Floor, 'D'-Block, Vitta Bhawan, Janpath, Jaipur

No. : RSBCL/Operations/BIOBond/ 5455 Dated : 17/08/2021

Inviting Offers from Eligible Entities for Working as Franchisee of RSBCL For Setting up and Operations of BIO Wholesale Bonds in Rajasthan

Vide notification no. F.4(12)FD/Ex/2014 dated 01/08/2016 it has provided that RSBCL holder of Wholesale License under clause (c) of sub-rule (1), may have a franchisee agreement with eligible person for setting up and operations of exclusive wholesale vend of Bottled in Origin (BIO). In exercise of authority given under aforesaid notification RSBCL invite offers from *"Eligible Entities for Working as Franchisee of RSBCL for Operations of BIO Wholesale Bonds in Rajasthan"*.

Eligibility Criteria

Any legal entity who is eligible to obtain and hold license under Rajasthan Excise Act, 1950 and Rules made there under and having valid Public or Private Customs Bond License issued by competent authority in India may be allowed to setup their own Customs Bond in Jaipur / Udaipur / Jodhpur or any other place in Rajasthan as per their suitability under franchisee agreement with RSBCL.

Scope of Work

1. **Period of Franchisee Agreement**
   - 1.1 RSBCL shall execute Franchisee Agreement with such eligible partners for operating the BIO Wholesale Bond.
   - 1.2 Franchisee agreement will be executed for the period of three years (Financial Year 2021-22 to 2023-24).
   - 1.3 There will be a provision for 2 year renewal of franchisee agreement by RSBCL on mutual agreement after satisfactory performance of the franchisee.
   - 1.4 The franchisee license shall be granted on payment of fees as notified by the Government of Rajasthan for respective financial year.
   - 1.5 Agreement may be cancelled / terminated in case of any policy changes by the State Government.
2. **Setting up Public Customs Bond and BIO Wholesale Vend**
   - 2.1 Franchisee shall also obtain BIO Wholesale Vend License from Excise Department, Government of Rajasthan, by following the due procedures as per prevailing rules and regulations of Rajasthan State Excise Act, 1950 and rules made there in.
   - 2.2 Both Customs Bond and BIO Wholesale vend shall be setup in one premises.

पिछले वर्ष आरएसबीसीएल द्वारा जारी किया गया टेंडर

BIO शराब क्यूँ बेचने पर आमादा है सरकार जबकि BIO शराब की अधिक बिक्री से राज्य को राजस्व का फायदा ना होकर नुकसान अधिक,कंपनियों की लोबिंग तेज|

जैसा कि पहले बताया गया है कि BIO शराब पर होलसेल लाइसेन्स फीस अमूमन एमआरपी का 15 से 18% ही होती है और BII शराब पर एमआरपी का 45-50% तक की एक्साइज ड्यूटी|ऐसे मे BII शराब की जगह BIO शराब अधिक बिकने से राज्य को राजस्व का नुक्सान होना तय है|लेकिन इसके बावजूद शराब कंपनियों के दबाव मे सरकार BIO शराब बेचने के लिए मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड लाने की तैयारियां कर रही है|सूत्रो के अनुसार मोटे कमीशन के लालच के चलते,बड़े राजनैतिक स्तर पर यह सारा खेल खेला जा रहा है,जो कि करोड़ो-अरबों रुपयों मे है|

BIO शराब के प्रमोशन पर खर्च किया जाएगा मोटा पैसा

जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि हमारे देश में शराब के विज्ञापन पर रोक है|इसी के चलते टेलीविजन, अखबार और पत्रिकाओं आदि में इसके पोस्टर या वीडियो प्रचार नहीं आते हैं|लेकिन इसके बावजूद एक मोटी राशि अन्य तरीको से शराब के प्रमोशन पर खर्च की जाती है|नए बाजार मे स्थापित होने के लिए कंपनियाँ दस गुना और खर्च करने को तैयार हो जाती है|यही सबसे बड़ी वजह है कि राजस्थान मे विलायती शराब का बाजार स्थापित करने के लिए बड़े स्तर पर लोबिंग की जा रही है|जिसमे मोटे-मोटे सूटकेस राजनेताओं तक पहुचाए जाने के भी समाचार है|

पहले से ही नुक्सान झेल रहे सैंकड़ों शराब ठेकेदारो के लिए कई गुना बढ़ जाएगी मुसीबते|

शराब की दुकानों मे हो जाएगा इजाफा|

नयी आबकारी नीति मे आबकारी विभाग द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इस नयी नीति से शराब की दुकानों मे कोई वृद्धि नहीं की जाएगी|विभाग के अनुसार वर्तमान मे अँग्रेजी और देशी शराब की 7665 कम्पोजीट दुकाने संचालित है|लेकिन नयी नीति के तहत मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड खुल जाने से इस संख्या मे इजाफा होना तय है,क्यूंकि अपनी पॉलिसी मे आबकारी विभाग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड के जरिये खुलने वाली दुकाने इस संख्या मे निहित होगी या फिर इसके अलावा|

गुरुग्राम मे खुले हुए BIO brand के शोरूमो की बानगी

BIO ब्रांड वाली कंपनियाँ देगी भारी डिस्काउंट|

इस बड़े फेरबदल से एक बात तो निश्चित है कि कम्पोजीट शराब की दुकानों पर BIO शराब की मांग करने वाले ग्राहको की संख्या ना के बराबर हो जाएगी|क्यूंकी वैसे तो राजस्थान मे शराब पर डिस्काउंट ना देकर ओवररेट लेने का रिवाज बरसो पुराना है लेकिन BIO ब्रांड के आउटलेट आ जाने से राज्य मे उल्टी गंगा बहने लग जाएगी|जैसा कि मार्केटिंग का सिद्धान्त है कि कोई भी कंपनी नए प्रोडक्ट के साथ डिस्काउंट और ऑफर लाती है|चूंकि इन शराब कंपनियों के पास मार्केटिंग के नाम पर बहुत बजट आएगा जो यह अपने ग्राहको पर पकड़ बनाने के लिए उन्हे पासऑन कर देगी या फिर पर्दे के पीछे से नित नए ऑफर देगी|

सामान्य बजट की शराब पीने वाले को लगाई जाएगी महंगी शराब पीने की लत

अमूमन राजस्थान मे मध्यम वर्ग द्वारा बजट वाली BII(IMFL)शराब का सेवन किया जाता है जो कि आमतौर पर 700 से 1000 के बीच होती है|लेकिन BIO शराब के बहुतायत मे मार्केट मे आ जाने और भारी डिस्काउंट और लोकलुभावन ऑफरो के चलते BIO शराब के कुछ ब्रांड उनकी जद मे आ जाएंगे|जैसे कि RED LABEL जैसे ब्रांड 950 से 1000 रुपए मे ही मिल जाएंगे|पिछले कुछ सालो मे सुनियोजित तरीके से कई BIO ब्रांड की शराब के दामो मे भारी कमी की गयी है|इसका यह दुष्प्रभाव होगा कि सामान्य ठेको पर बजट वाली BII(IMFL)शराब की बिक्री कम हो जाएगी और ठेकेदार अपनी गारंटी पूरी नहीं कर पाएंगे|

आरएसबीसीएल को बंद करने की साजिश

जानकार इसे धीरे धीरे आरएसबीसीएल को बंद करने की साजिश से भी इंकार नहीं कर रहे है|जिस प्रकार दिल्ली मे IMFL FMFL और IFIL शराब की बिक्री के लिए तीन तरह के होलसेल लाइसेन्स जारी किए जाते है जिनके द्वारा ही वहाँ के शराब ठेकेदार रिटेल मे बेचने के लिए शराब खरीदते है उसी प्रकार की व्यवस्था राजस्थान मे भी लागू करने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है|BIO ब्रांड के तहत राजस्थान मे होलसेल आउटलेट खोलना इसी साजिश का एक हिस्सा मात्र है|सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि इस खेल मे BIO बॉन्ड धारक कंपनी को अलग से कमीशन देना पड़ेगा जो कि स्वाभाविक है कि आरएसबीसीएल की जेब से ही कटेगा|

क्या गांधी के देश मे बहेगी शराब की नदियां?

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सदैव शराब का विरोध किया गया था साथ ही विदेशी सामानो का बहिष्कार करने की भी सदैव पैरवी की गयी थी,लेकिन इसके बावजूद उनके अनुयायी ही देश-प्रदेश मे विलायती शराब की नदियां बहाने मे लगे हुए है|

क्या होगा राज्य मे स्थापित डिस्टलरी,बोटलिंग एवं पेकेजिंग प्लांट्स का?

वर्तमान मे राजस्थान मे कई कंपनियो के डिस्टलरी,बोटलिंग एवं पेकेजिंग प्लांट्स संचालित है,जिनसे राज्य को कई अन्य करो की प्राप्ति के साथ साथ रोजगार और व्यापार भी मिल रहा है,इसके बावजूद राज्य सरकार BIO ब्रांड को बढ़ावा देकर और BII ब्रांड की शराब को हतोत्साहित कर ना केवल हजारो लोगो के रोजगार और व्यापार को नुकसान पहुचाने का काम कर रही है,बल्कि प्रधानमंत्री महोदय के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और राज्य के इन्वेस्ट इन राजस्थान मिशन मे भी बाधा उत्पन्न कर रही है|

क्या शराबबंदी वाले गुजरात से लगते जिलो मे खोले जाएंगे BIO ब्रांड के आउटलेट?

गुजरात जैसे अमीर राज्य मे भी महंगी शराब का चलन कम नहीं है भले ही वह अवैध रूप से चल रहा हो|सूत्रो का मानना है कि जिस प्रकार दिल्ली-हरियाणा राज्यों के अधिकतर होलसेल आउटलेट उनकी अन्य प्रदेशों से लगती सीमाओ के निकट खोले गए है,उसी प्रकार राजस्थान मे भी BIO बॉन्ड के आउटलेट/गोदाम गुजरात राज्य से लगती जिलो जैसे उदयपुर,सिरोही, डुंगरपुर,बांसवाड़ा आदि जिलो मे खोले जाने की संभावना है|जिससे गुजरात के महंगी शराब के उपभोक्ता तक आसानी से पहुँच बनाई जा सके|

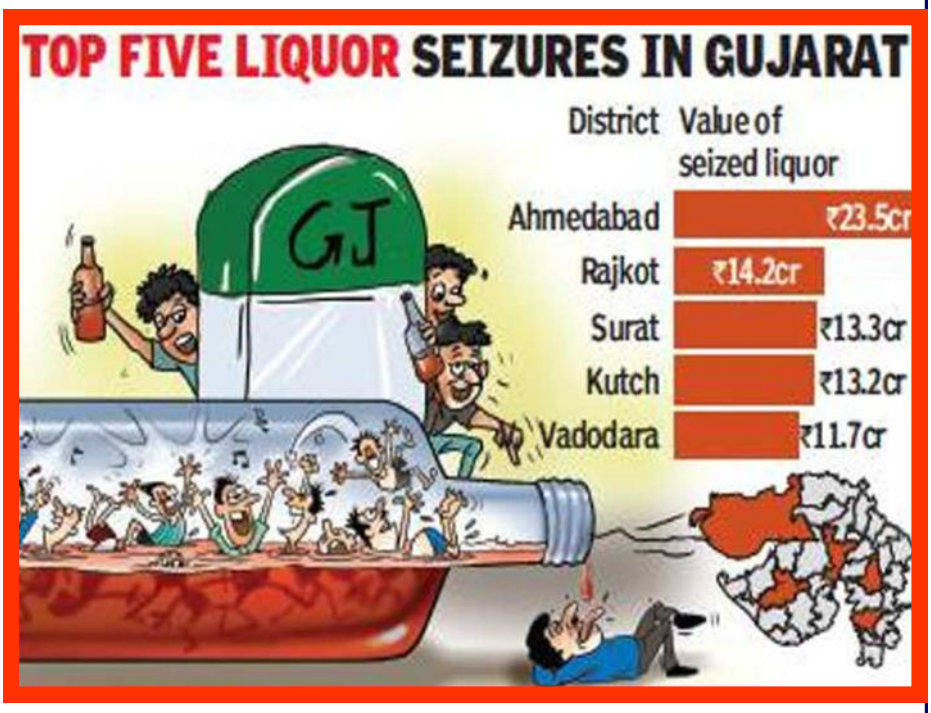

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर क्यूँ मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड की ज़िम्मेदारी आबकारी विभाग को ना देकर आरएसबीसीएल को दी गयी है?
2. क्या मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड खुल जाने से राज्य मे शराब की दुकानों की संख्या मे इजाफा नहीं होगा?
3. आखिर क्यूँ सरकार मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड की पॉलिसी स्पष्ट नहीं कर रही है?आखिर क्यूँ मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड के टेंडर वर्तमान मे कम्पोजीट दुकानों के लाइसेन्स नवीनीकरण के बाद किए जाएंगे?
4. BIO ब्रांड के बाजार पकड़ने से राज्य सरकार को सीधा सीधा राजस्व का तगड़ा नुकसान होगा,उसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार के पास क्या उपाय है?
5. BII(IMFL) ब्रांड के राज्य मे कई बोटलिंग एवं पेकेजिंग प्लांट्स संचालित है,जिनसे राज्य को कई अन्य करो की प्राप्ति के साथ साथ रोजगार और व्यापार भी मिल रहा है,इसके बावजूद राज्य सरकार BIO ब्रांड को बढ़ावा देकर और BII ब्रांड की शराब को हतोत्साहित कर,अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यूँ मार रही है?
6. हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दूसरा गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है,इतनी साफ छवि होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय विलायती शराब को बढ़ावा देने पर क्यूँ आमादा है?
7. क्या राज्य सरकार द्वारा जिन राज्यो जैसे हरियाणा,दिल्ली,महाराष्ट्र,केरल,एमपी आदि राज्यो मे, जहां पर मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप,BIO बॉन्ड और होलसेल आउटलेट संचालित है वहाँ की कर-व्यवस्था(एक्साइज ड्यूटी,होलसेल लाइसेन्स फीस आदि)मे होने वाले नफा-नुकसान का आकलन/अध्ययन किया गया है?क्या सरकार द्वारा इन राज्यो मे जिम्मेदार और अनुभवी अधिकारियों की कोई कमिटीजांच दल भेजा गया है?
8. क्या राज्य सरकार द्वारा मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड के लिए विपक्ष से राय ली गयी है?या ऐसे किसी प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखा है?
9. मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड के लिए कौन व्यक्ति/कंपनी है जो बड़े राजनैतिक स्तर पर लोबिंग कर रहे है?
10. क्या यह सही है कि BIO बॉन्ड के आउटलेट/गोदाम गुजरात सीमा से लगे जिलो मे खोले जाएंगे?
11. मॉडल शॉप,एयरपोर्ट शॉप और BIO बॉन्ड के आने से, पहले से नुकसान झेल रहे शराब ठेकेदारो को और परेशान करने का जिम्मेदार कौन होगा?
12. क्या BIO बॉन्ड के द्वारा आरएसबीसीएल के समानान्तर व्यवस्था कायम करने की साजिश रची जा रही है?
13. विगत 2-3 सालो मे देखने मे आया है कि अधिकतम बिकने वाली सामान्य बजट की शराब (BII ब्रांड)की रेटो को बढ़ाया गया है और,महंगी बिकने वाली BIO ब्रांड की शराब पर रेटे कम कर,सामान्य बजट वाले शराब उपभोक्ताओ को BIO ब्रांड की शराब का उपभोग करने के लिए ललचाया जा रहा है|क्या यह किसी साजिश का हिस्सा नहीं है?क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई)इस मामले की जांच करेगा?